

छोटे उद्योगों को आवासीय दर पर गृहकर की सुविधा

राहत

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार यूपी में एमएसएमई में चलने वाले छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देने जा रही है। इनसे अब आवासीय के समान हाउस टैक्स लेने की सुविधा देने की तैयारी है। अभी तक तीन गुना देना पड़ रहा है। भारी उद्योगों को आवासीय से तीन गुना हाउस टैक्स देना होगा। नगर विकास विभाग इसके लिए नियमावली में संशोधन करने जा रहा है।

प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (पंचम संशोधन) नियमावली-2026 का प्रारूप जारी करते हुए इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

इसमें छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान के साथ ही सूक्ष्म लघु औद्योगिक इकाइयों को उपनियम (एक) के अधीन यथानियत के समान यानी आवासीय के बराबर हाउस टैक्स लेना प्रस्तावित किया है। इसके दायरे में वही छोटे उद्योग आएंगे जिनको औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार परिभाषित किया गया है।

मध्यम एवं वृहद उद्योग स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स व पात्र पर्यटन इकाइयों से आवासीय से तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा। होटल,

03

गुना हाउस टैक्स केवल भारी उद्योगों को ही देना होगा

- अभी आवासीय से तीन गुना है हाउस टैक्स
- नियमावली में संशोधन के लिए मांगा गया सुझाव

संपत्ति कर नियमावली में संशोधन होगा

इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2000 में संशोधन किया जा रहा है। नगर विकास विभाग द्वारा संशोधित नियमावली के प्रारूप पर 30 दिनों तक आपत्तियां दी जा सकेंगी। इसे प्रमुख सचिव सचिव नगर विकास अनुभाग-9 बापू भवन को भेजना होगा। तय आवधि के बाद कोई भी आपत्ति व सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके निस्तारण के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करते हुए लागू किया जाएगा।

रिसार्ट्स व पात्र पर्यटन इकाइयों को तभी ये सुविधा दी जाएगी जब वे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से पंजीकृत होंगी। सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों को भी इतना ही हाउस टैक्स देना होगा।